



भा० कृ० अनु० प०- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

I.C.A.R.--National Institute of Seed Science & Technology

(कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार) / (Department of Agriculture Research & Education, Ministry of Agriculture & farmer's Welfare, GOI)
आई० सी० ए० आर० परिसर, मऊ 275103 (उ.प्र.), ICAR Campus, Mau-275103 (U. P.)

Website : www.seedcar.org.in, Email-chandra.mauli@icar.org.in

पत्रांक सं.- 05/भा.बी.वि.सं./2024-25/ट्रांजिट हाउस/01/509

दिनांक: - 26.02.2026

निदेशक, राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वारा संस्थान मुख्यालय मऊ में कैटीन सेवा प्रदान करने हेतु योग्य सेवा प्रदाताओं से संलग्न प्रपत्र एवं नियम / प्रावधानों के अंतर्गत निम्न पते पर सीलबंद लिफाफे में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 15 दिनों के अन्दर आवेदन मांगे जाते हैं।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
आई०सी०ए०आर० परिसर, ग्रा० व पो०- कुशमौर
मऊ, - 275103, उत्तर प्रदेश

(चन्द्रमौलि शर्मा)

वरि० प्रशा० अधिकारी

प्रति:-

1. निदेशक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ।
2. गार्ड फाइल।

खानपान सेवा प्रदान करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति
तकनीकी बिड भाग- 1
बोली प्रदाताओं का विवरण

1.	सेवा प्रदाता का नाम	
2.	सेवा प्रदाता का पूरा पता	
3.	फोन नंबर - ई-मेल आईडी- फैक्स नंबर -	
4.	GST नंबर - पैन कार्ड नंबर- आधार नंबर-	

उपरोक्त कार्य हेतु मैंने संलग्न नियम व प्रावधानों को भली भांति पढ़ एवं समझ लिया है।

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :-

क्रमांक	ली जाने वाली सेवाएं	सेवाओं का पूर्ण विवरण	मूल्य
A	नियमितब्रेकफास्ट	आलूपराठा, चटनी, आचार/ सत्तू पराठा, चटनी, आचार/ पूड़ी सब्जी / इडली सांभर/पोहा (सभी ब्रेकफास्ट चाय/काफी सहित) इत्यादि।	
	नियमित लंच	दाल, चावल, सीजनल सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़ इत्यादि।	
	नियमित डिनर	दाल, चावल, सीजनल सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़ इत्यादि।	
B	विशेष ब्रेकफास्ट	छोले भटूरे, डोसा मसाला, कटलेट, ब्रेड आमलेट, कार्नफ्लेक्स, फल (सभी ब्रेकफास्ट चाय/काफी सहित) इत्यादि।	
	शाकाहारी विशेष लंच/डिनर	दाल, चावल, सीजनल सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, दही, मिठाई, पनीर/कोसा/मशरूम इत्यादि।	
	मांसाहारी विशेष लंच/डिनर	रोटी, चावल, सलाद, चिकन/ मटन/ मछली /अण्डा करी इत्यादि।	
C	रिफ्रेशमेंट पैकेट	समोसा, लड्डू, चिप्स, बिस्किट, जूस/फ्रूटी/छाछ/चाय इत्यादि।	

नोट- निविदा चयन करने में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दरों में A, B, तथा C को क्रमशः 60%, 30% तथा 10% का Weightage दिया जाएगा।

भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में मेस- कम- कैटीन चलाने के लिए नियम एवं शर्तें

1. प्रस्तावित दरें न्यूनतम 365 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए।
2. सफल निविदाकर्ता को कार्य आरंभ करने के पूर्व रु. 9,000/- परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में ICAR-NISST Main, Kushmaur, Mau के पक्ष में जमा करना होगा।
3. सफल बोलीदाता को दिए गए अनुबंध/नौकरी को शुरू करने से पहले अनुबंध के 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक समझौता करना होगा।
4. ठेकेदार नियमों और शर्तों के अनुसार आवंटित क्षेत्र से मेस-कम-कैटीन सेवा प्रदान करेगा। एजेंसी अनुबंध को किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं करेगी।
5. यदि कोई भी पक्ष रेट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करना चाहता है तो दोनों पक्षों को तीन माह का नोटिस देना होगा।
6. यदि दो निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित दरें समान हैं तो ऐसी स्थिति में उस निविदाकर्ता को वरियता दी जाएगी जिसे पिछले तीन वर्षों में सरकारी संगठन के मेस कैटीन में कार्य करने का अधिकतम अनुभव है।
7. ठेकेदार श्रम कानूनों और खाद्य पदार्थ/खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह रसोई, कैटीन, डाइनिंग हॉल को हमेशा साफ-सुथरा रखेगा। खाद्य पदार्थ स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जाएंगे।
8. भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ द्वारा बर्तन साफ करने, खाना पकाने, भोजन और परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए मुफ्त पानी की आपूर्ति की जाएगी।
9. डाइनिंग हॉल और रसोई में फ्रिज, वाटर कूलर, हैट केस आदि के लिए बिजली निःशुल्क दी जाएगी। अन्य किसी उपभोग के लिए बिजली नहीं दी जाएगी।
10. ठेकेदार या उसके कर्मचारी द्वारा मेस-कम-कैटीन और भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ परिसर में कोई भी गैरकानूनी गतिविधि नहीं की जाएगी।
11. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा कैटीन में शराब आदि पीने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठेकेदार द्वारा कैटीन में मादक पदार्थ/शराब आदि नहीं प्रदान किये जाएंगे।
12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ परिसर के मेस-कम-कैटीन में तैनात व्यक्ति अच्छे चरित्र के हों, उनका आचरण अच्छा हो, वे कार्य करने में सक्षम और योग्य हों। भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ परिसर के मेस-कम-कैटीन में काम करने वाले सभी व्यक्ति हर समय और हर उद्देश्य के लिए ठेकेदार/फर्म के कर्मचारी माने जाएंगे।
13. ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान, एजेंसी या उसके कर्मचारियों की ओर से लापरवाही के कारण संचालन के क्षेत्र में होने वाली किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) की चोट या मृत्यु को कवर करने वाले व्यापक सामान्य देयता बीमा के लिए लागत पर होगा और समझौते के तहत अपने दायित्वों/कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ एजेंसी द्वारा इस संबंध में चूक के कारण किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ एजेंसी द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में किसी भी कारण से जोखिम में नहीं होगा।

14. एजेन्सी/ठेकेदार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भोजन आदि की व्यवस्था समुचित रूप से पूर्ण करनी होगी तथा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क बनाए रखना होगा।
15. एजेन्सी/ठेकेदार को मेस-कैंटीन में पृथक से शिकायत रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें अतिथि अपनी शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कर सकेंगे तथा तदनुसार संस्थान आवश्यक कार्यवाही करेगा।
16. एजेन्सी/ठेकेदार भोजन आदि उपलब्ध कराने में दिये गये समय का पूर्णतः पालन करेगा।
17. एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा तैयार किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा प्रयुक्त सामग्री, तेल आदि की गुणवत्ता तथा बर्तनों की गुणवत्ता का संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा तैयार किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, तेल आदि की गुणवत्ता तथा प्रयुक्त बर्तन साफ-सुथरे तथा उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में समिति की संस्तुति पर संस्थान के निदेशक अनुबंध को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके लिए एजेन्सी/ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
18. एजेन्सी/ठेकेदार को संस्थान की कैंटीन में ही ताजा भोजन आदि तैयार करना होगा। बाहर से तैयार भोजन आदि लाने व उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी।
19. एजेन्सी/ठेकेदार को संस्थान की कैंटीन/मेस/संस्थान परिसर में अपने बाहरी व्यवसाय हेतु भोजन आदि तैयार करने की अनुमति नहीं होगी।
20. एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा तैयार भोजन का पुनः उपयोग नहीं किया जाएगा अर्थात् सुबह, दोपहर व रात्रि का बचा हुआ भोजन नहीं परोसा जाएगा।
21. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ, बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
22. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ, तीन माह की परीक्षण अवधि के दौरान किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि अनुबंध इस अवधि के बाद प्रदान/जारी किया जाता है तो निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ, बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर इसे किसी भी समय रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
23. अनुबंध अवधि के दौरान यदि ठेकेदार अनुबंध को निरस्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना होगा तथा इन तीन माह की नोटिस अवधि के दौरान उसे अनुबंध का संचालन जारी रखना होगा तथा ऐसा न करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी। बयाना राशि/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संस्थान को हुई अन्य हानि भी उससे वसूल ली जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति एवं ठेकेदार के मध्य वार्ता कर उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसी वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
25. अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार मऊ होगा।
26. दंड खंड निविदा दस्तावेज के विभिन्न खंडों के उल्लंघन के लिए ठेकेदार पर निम्नलिखित दंड लगाया जाएगा

1.	पानी और बिजली का दुरुपयोग	500 रुपये प्रतिदिन
	पर्याप्त सफाई और स्वच्छता न रखना	500 रुपये प्रतिदिन
	मिलावटी/निषिद्ध/खतरनाक मसालों से खाना पकाना	2000.00 रुपये प्रतिदिन
	कैंटीन परिसर में शराब पीना, जुआ खेलना, धूम्रपान करना जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देना	2000.00 रुपये प्रतिदिन
	निर्धारित समय पर कैंटीन न खोलना	500.00 रुपये प्रतिदिन
	कैंटीन स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार	500.00 रुपये प्रतिदिन
	परिसर में कूड़े का निपटान	2000.00 रुपये प्रतिदिन

उपरोक्त निदेशक के अतिरिक्त, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ किसी अन्य खंड के उल्लंघन पर पर्याप्त जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो ऊपर शामिल नहीं हैं। जुर्माना लगाने के लिए निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ का निर्णय अंतिम होगा।

27. जोखिम खंड: अनुबंध/समझौते के अनुसार किसी भी सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा/अनुबंध दायित्वों को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ वैकल्पिक विक्रेता को काम सौंप सकता है और भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे पूरा करवा सकता है। अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, जिसमें परिणामी लागत शामिल है, उस ठेकेदार से पूरी तरह से वसूल किया जाएगा जो अनुबंध के अनुरूप काम पूरा करने में विफल रहा, इसके अलावा प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।

28. सभी आवेदन GST, PAN तथा आधार आदि सांविधिक छाया प्रतियों के साथ ही मान्य होगा।